

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/मुक0-08-30/2025/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ के पत्रांक-3039 दिनांक-14.10.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार (आई0डी0 जे0-10316), कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में त्यागपत्र समर्पित करने की तिथि दिनांक 11.09.2023 से पुनः विभाग में योगदान समर्पित करने की तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 05.06.2024 तक कुल-268 दिन की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-180(क) एवं (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में असाधारण (अवैतनिक) अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान/श्री रविन्द्र कुमार (आई0डी0 जे0-10316), कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

2403

पटना/दिनांक - 21/5/25

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. A. S. 06/05/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।